


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2287]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2013/आश्विन 8, 1935

No. 2287]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2013/ASVINA 8, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2013

का. आ.2965(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.05.2013 की का.आ.सं.1207 (अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैतालीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया ; और

3.यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

योजना जोन-'एम' में सैक्टर-40, रोहिणी, फेज-V में 4000.00 वर्ग मीटर (पाकेट आर-17 और प्रस्तावित कब्रिस्तान से सटे हुए)क्षेत्र के भूमि उपयोग का परिवर्तन निम्न विवरण के अनुसार किया जाता है:-

अवस्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	भूमि उपयोग (एमपीडी- 2021) के अनुसार)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
योजना जोन- 'एम' में, गांव मुबारकपुर, सेक्टर- 40, रोहिणी, फेज-V में पॉकेट-आर -17 और हरित क्षेत्र/कब्रिस्तान से सटा हुआ।	4000	आवासीय	“सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं” (श्मशान भूमि/ श्मशान घाट)	उत्तर : आवासीय पूर्व : 5 मीटर चौड़ा हरित क्षेत्र और सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं (कब्रिस्तान) दक्षिण : आवासीय पश्चिम : आवासीय

[फा.सं. के-13011/15/2013-डीडी-1]
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2013

S.O.2965(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1207 (E) dated 14.05.2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within Forty Five days from the date of the said notice.

- Whereas no objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and
- Whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.
- Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

The landuse of the area measuring 4000.00 sqmt (Adjacent to Pocket R-17 and proposed Kabristan) in Sector-40, Rohini, Phase-V in Planning Zone- 'M' is changed as per description listed below:

Location	Area (In Ha.)	Land use (As per MPD- 2021)	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Adjacent to Pocket R-17 and Green/Kabristan in Village Mubarakpur in Sector-40, Rohini, Phase-V in Planning Zone-M	4000	Residential	“Public & Semi Public Facilities” (Cremation Ground/Shamshaan Ghat)	North – Residential East – 5 m wide Green & Public and Semi Public Facilities (Kabristan) South – Residential West – Residential

[No. K-13011/15/2013-DD.I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.